

कार्यालय, अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक-वा0क0अधि0/दस-3(ग)/स्थानान्तरण/1790/2026::लखनऊ::दिनांक:: 29 मई, 2026

-:: आदेश ::-

स्थानान्तरण समिति द्वारा आख्या दिनांक 26.05.2026 व अधिकरण अधिष्ठान के अंतर्गत पीठों में कार्यरत तृतीय श्रेणी कर्मचारियों से प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर सम्यक विचारोपरान्त एवं वार्षिक स्थानान्तरण नीति वर्ष 2026-27 दृष्टिगत राजकीय कार्य सुचारु रूप से सम्पादित करने हेतु तथा कार्यात्मक आवश्यकता के अनुरूप जनहित में निम्नलिखित स्थानान्तरण/सम्बद्धता समाप्ति अंकित स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से किये जाते हैं:-

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1.	श्री अरविन्द कुमार दुबे, प्रधान सहायक	पीठ-6 वाराणसी	पीठ-1 लखनऊ, सम्बद्ध मुख्यालय	नियमित स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर
2.	श्रीमती रीना पाठक, प्रधान सहायक	पीठ-3 लखनऊ	पीठ-2 लखनऊ	सम्बद्धता समाप्त करते हुए नियमित स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर
3.	श्री दबीर अहमद, प्रधान सहायक	पीठ-2 लखनऊ	पीठ-3 लखनऊ	स्थानीय
4.	श्री एम0एच0 आब्दी, प्रधान सहायक	पीठ-2 आगरा	सम्बद्ध मुख्यालय	अयोध्या पीठ की सम्बद्धता समाप्त करते, स्वयं के अनुरोध पर
5.	श्री रामू सरोज, वरिष्ठ सहायक	पीठ-1 वाराणसी	पीठ-2 प्रयागराज	स्वयं के अनुरोध पर
6.	श्री रोहित चन्द्रा, वरिष्ठ सहायक	पीठ-4 वाराणसी	पीठ-2 प्रयागराज	स्वयं के अनुरोध पर
7.	श्रीमती चित्रांगना सिंह वरिष्ठ सहायक	पीठ-3 लखनऊ	पीठ-2 कानपुर	स्वयं के अनुरोध पर
8.	श्री सौरव मिश्रा, वरिष्ठ सहायक	पीठ-1 आगरा	मुख्यालय लखनऊ	सम्बद्धता समाप्त करते हुए नियमित स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर
9.	श्री अनुराग साहू, वरिष्ठ सहायक	पीठ-3 लखनऊ सम्बद्ध मुख्यालय	---	सम्बद्धता समाप्त करते हुए मूल तैनाती स्थान पर
10.	श्री राजेश कुमार, कनिष्ठ सहायक	पीठ-गोरखपुर सम्बद्ध पीठ-2 लखनऊ	--	सम्बद्धता समाप्त करते हुए मूल तैनाती स्थान पर
11.	श्री तुषार लखानी, कनिष्ठ सहायक	पीठ-1 मेरठ	पीठ-1 आगरा	स्वयं के अनुरोध पर
12.	श्रीमती शिखा मिश्रा कनिष्ठ सहायक	पीठ-3 लखनऊ	पीठ-2 लखनऊ	सम्बद्धता समाप्त करते हुए नियमित स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर
13.	श्री कैलाश मल्लाह, कार्यालय सेवक	पीठ-झांसी	पीठ-गोरखपुर	स्वयं के अनुरोध पर



1. कम संख्या-1, 4, 5, 6, 7, 8, 11 तथा 13 पर अंकित कर्मचारी का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर होने के कारण कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा, परन्तु कार्यभार ग्रहण काल देय होगा।
 2. क0सं0 2, 3, 9 व 12 पर अंकित कर्मचारियों का स्थानान्तरण स्थानीय होने के कारण यात्रा भत्ता व कार्यभार ग्रहण काल देय नहीं होगा।
 3. क0सं0 10 पर अंकित कर्मचारी की मूल तैनाती पीठ-गोरखपुर की है वह पीठ 3 लखनऊ में सम्बद्ध थे यदि उनके द्वारा स्थानान्तरण के समय यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहणकाल न लिया गया हो तो नियमानुसार देय होगा।
- उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

ह0/29.05.2026

(रमेश चन्द-प्रथम)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या-वा0क0अधि0/स्थानान्तरण /1790/2026. तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उपसचिव, राज्य कर अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-2 कानपुर/पीठ-1, 2 व 3 लखनऊ/पीठ-1, 4 व 6 वाराणसी/पीठ-झांसी/पीठ-गोरखपुर/पीठ-1 व 2 आगरा/पीठ-2 प्रयागराज/पीठ-1 मेरठ एवं मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित कर्मचारियों को अविलम्ब कार्यभार से मुक्त करते हुए सूचना मुख्यालय प्रेषित करें।
3. आहरण वितरण अधिकारी मुख्यालय/पीठ-1 लखनऊ/पीठ-1 वाराणसी/पीठ-1 प्रयागराज/पीठ-1 आगरा/पीठ-1 मेरठ/पीठ-झांसी/पीठ-गोरखपुर/पीठ-1 कानपुर/।
4. कोषाधिकारी-आगरा/वाराणसी/कानपुर नगर/प्रयागराज/मेरठ/झांसी/गोरखपुर/कलेक्ट्रेट लखनऊ/जवाहर भवन लखनऊ।
5. वरिष्ठ सहायक लेखा-मुख्यालय/पीठ-1 लखनऊ/पीठ-1 वाराणसी/पीठ-1 प्रयागराज/पीठ-1 आगरा/पीठ-1 मेरठ/पीठ-झांसी/पीठ-गोरखपुर/पीठ-1 कानपुर।
6. सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा निर्गत सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति वर्ष 2026-27 दिनांक 05.05.2026 के बिन्दु संख्या-11 के पैरा 8 में अंकित निर्देशों के अनुसार मानव सम्पदा पोर्टल पर अपलोड कर कार्यमुक्ति एवं कार्यभार आदि मानव सम्पदा पोर्टल से ही अनिवार्य रूप से किया जाएगा। उपर्युक्त प्रक्रिया पालन करने पर ही सम्बन्धित कार्मिक का वेतन आहरण हो सकेगा।
7. वेब अधिकारी मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित आदेश विभागीय वेब साइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
8. सम्बन्धित व्यक्ति एवं व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

ह0/29.05.2026

(रमेश चन्द-प्रथम)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञासे,

(वीरेन्द्र कुमार)

निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।